हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–4, 7 दिसम्बर, 2010

संख्याः वि0स0/1–63/2010.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010

(2010 का विधेयक संख्यांक–38) जो आज दिनांक 7 दिसम्बर, 2010 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा ।

2010 का विधेयक संख्यांक 38

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक ।**

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः––

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2010 है ।

(2) यह 16 नवम्बर, 2010 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

धारा 2 का संशोधन।

2005 का 12

2. हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (घ) में, ''माल के विनिर्माण'' शब्दों के पश्चात् ''की प्रक्रिया में प्रयुक्त संयन्त्र, मशीनरी या'' शब्दों के स्थान पर '', प्रसंस्करण और पैंकिंग की प्रक्रिया में प्रयुक्त संयन्त्र, मशीनरी या हाइड्रोलिक मोबाइल पिक एण्ड कैरी क्रेन सहित" चिन्ह और शब्द रखे जाएंगे।

धारा 16 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 16 में,––

(क) उपधारा (3) में ''ऐसी विवरणियां,'' शब्दों और चिन्ह के पश्चात् ''मैनुअली या इलैक्ट्रोनिकली,'' शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।; और

(ख) उपधारा (4) में ''विहित रीति में,'' शब्दों और चिन्ह के पश्चात् ''मैनुअली या इलैक्ट्रोनिकली,'' शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

2010 के अध्यादेश संख्यांक 10 का निरसन और व्यावृतियां ।

4. (1) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2010 को एतद् द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमानतः मोबाइल पिक एण्ड कैरी क्रेनज ''पूंजी माल'' की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते हैं और राज्य में 13.75 प्रतिशत की दर से कराधेय हैं, जबकि पूंजी माल पर मूल्य परिवर्धित कर वर्तमानतः 5 प्रतिशत है । वर्तमानतः दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छतीसगढ़ और हरियाणा जैसे पड़ौसी राज्यों की तुलना में हिमाचल प्रदेश में मूल्य परिवर्धित कर की दर उच्चतर है और कर की निम्नतर दर के कारण उपरोक्त मदों का व्यापार करने वाली कम्पनियां इन राज्यों में अपनी समसामयिक कम्पनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं। इसलिए फर्मे हिमाचल प्रदेश में अपने परिसरों से अधिकांश विनिर्मित माल के स्टॉक का अन्तरण, अन्य राज्यों में अपने डिपो को, जहां पर माल विक्रीत किया जा रहा है, कर रही हैं । स्टॉक अन्तरण और निर्यात पर राज्य को कोई कर प्राप्त नहीं हो रहा है तथा केन्द्रीय विक्रय कर के अन्तर्गत केवल एक प्रतिशत सीमांत कर ही प्राप्त हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य को राजस्व की हानि हो रही है या राज्य का राजस्व पड़ौसी राज्यों को जा रहा है । ''मोबाइल पिक एण्ड कैरी क्रेनज'' को ''पूंजी माल'' की परिभाषा में सम्मिलित करने से राजस्व में प्रतिवर्ष लगभग 2.50 करोड़ रुपए की बढौतरी होने की संभावना है । इसलिए राज्य के राजस्व को अन्य राज्यों को जाने से रोकने के आशय से राजस्व के हित में समीचीन प्रतीत होता है कि पूंजी माल के अन्तर्गत ''हाइड्रोलिक पिक एण्ड कैरी क्रेनज'' को सम्मिलित करके ''पिक एण्ड कैरी क्रेनज'' पर मूल्य परिवर्धित कर की दर को 13.75 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया जाए । इसके अतिरिक्त, विभाग, व्यापारियों को विवरणियां और कर के संदाय को इलैक्ट्रोनिकली दाखिल करने की सुविधा आरम्भ कर रहा है । इससे व्यापारियों को अपनी दुकानों / कार्यालयों अथवा यहां तक कि अपने निवास स्थान से भी कर को जमा करने और विवरणियों को दाखिल करने की प्रसुविधा प्राप्त होगी । नई सुविधा व्यापारियों को राज्य में सौहार्दपूर्ण वातावरण प्रदान करने में दूरगामी सिद्ध होगी । इसलिए हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 में संशोधन करना आवश्यक हो गया था ।

क्योंकि विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 में संशोधन किया जाना अनिवार्य हो गया था, इसलिए, हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2010(2010 का अध्यादेश संख्यांक 10) 12 नवम्बर, 2010 को प्रख्यापित किया गया था, जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में 16 नवम्बर, 2010 को प्रकाशित किया गया था । अब उक्त अध्यादेश को नियमित विधान द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है ।

यह विधेयक उक्त अध्यादेश को बिना उपान्तरण के प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मन्त्री ।

धर्मशालाः
तारीखः 2010

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 2 के उपबंध अधिनियमित होने से राज्य के राजस्व में लगभग 2.50 करोड़ रुपए वार्षिक की बढौतरी होगी । विधेयक के उपबंध अधिनियमित होने के पश्चात् विद्यमान सरकारी तन्त्र द्वारा प्रवर्तित किए जाने हैं और इससे कोई अतिरिक्त व्यय अन्तर्वलित नहीं होगा ।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

———शून्य———

———————

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

नस्ति संख्याः ई.एक्स.एन.–एफ(10)–1 / 2006–II

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010 की विषय–वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 38 of 2010

THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL, 2010

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commence-ment.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Act, 2010.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 16th day of November, 2010.

Amendment of section 2.

2. In section 2 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in clause (d), after the words "or equipment", the words "including hydraulic mobile pick and carry cranes" shall be inserted**.**

12 of 2005

Amendment of section 16.

3. In section 16 of the principal Act,—

(a) in sub-section (3), after the words "furnish such returns", the words "manually or electronically" shall be inserted**.** ; and

(b) in sub-section (4), after the words and sign "prescribed manner, pay", the words "manually or electronically" shall be inserted**.**

Repeal of Ordinance No. 10 of 2010 and savings.

4. (1) The Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2010 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The mobile pick and carry cranes presently do not fall within the purview of definition of "Capital Goods" and is taxable @ 13.75% in the State, while the Value Added Tax on Capital goods is presently 5%. Presently there is higher rate of Value Added Tax in Himachal Pradesh as compared to the neighbouring States of Delhi, Uttar Pradesh, Rajasthan, Chattisgarh and Haryana and companies dealing with above item are unable to compete with its contemporaries in these States due to lower rate of tax. Therefore, the firms are resorting to stock transfer of bulk of the manufactured goods from their premises in Himachal Pradesh to their depots in other States from where the goods are being sold. No tax is coming to States on stock transfer and exports and only marginal tax at 1% under Central Sales Tax is coming. As a result, the State is loosing revenue or the State's revenue is getting diverted to the neighbouring States. By including "mobile pick and carry cranes" in the definition of "Capital Goods", there is hope of increasing revenue to the tune of 2.50 crore rupees annually approximately. Thus, in order to avoid shifting of State's revenue to other States, it appears expedient in revenue interest that Value Added Tax rate on "pick and carry cranes" should be reduced from 13.75% to 5% by including the "hydraulic pick and carry cranes" under Capital Goods. Apart from this, it has also been decided to introduce the facility of filing of returns and payment of tax electronically to the traders. This will facilitate the traders to deposit tax and to file returns from their shops/offices or even from the residence. The new facility will go a long way in providing traders friendly environment in the State. This has necessitated amendments in the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005.

Since, the Legislative Assembly was not in session and amendment in the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 had to be made urgently, therefore, the Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2010 (H.P. Ordinance No. 10 of 2010) was promulgated under clause (1) of article 213 of the Constitution of India by the Governor of Himachal Pradesh on 12th November 2010, which was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 16th November, 2010. Now, the said Ordinance is required to be replaced by a regular enactment.

This Bill seeks to replace the said Ordinance without modification.

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

DHARAMSHALA:
Dated_____ 2010

FINANCIAL MEMORANDUM

The provision of clause 2 of the Bill when enacted will result in increase in the State revenue to the tune of approximately 2.50 crore rupees annually. As the provisions of the Bill after being enacted are to be enforced by the existing Government machinery, no additional expenditure will be involved.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION

File No. EXN-F(10)-1/2006-II.

The Governor of Himachal Pradesh after having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Bill, 2010, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill by the Legislative Assembly.

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–4, 7 दिसम्बर, 2010

संख्याः वि0स0 / 1–63 / 2010.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक–39) जो आज दिनांक 7 दिसम्बर, 2010 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा ।

2010 का विधेयक संख्यांक 39

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010

(विधान सभा में पुरःस्थापित रुप में)

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम संख्यांक 17) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः––

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2010 है ।

धारा 28 का प्रतिस्थापन ।

2. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 28 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :––

''**28. वित्त समिति.––**(1) एक वित्त समिति होगी और इसका गठन, पदेन सदस्यों से अन्यथा इसके सदस्यों की पदावधि तथा इसकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे परिनियमों में अधिकथित किए जाएं ।

(2) यदि बैठक में किसी कार्यसूची पर सदस्यों में कोई सहमति नहीं होती है या कार्यकारी परिषद् के किसी मामले पर वित्त समिति की सिफारिशों के साथ सहमत न होने की दशा में मामले को, कार्यकारी परिषद् द्वारा, मामले के ब्यौरे और वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत होने के कारणों सहित, कुलाधिपति को विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर कुलाधिपति का विनिश्चय अंतिम होगा ।''

धारा 35–क का लोप

3. मूल अधिनियम की धारा 35–क का लोप किया जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्ष, 2003 में राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 में धारा 35–क अन्तःस्थापित की थी धारा 35–क में निम्नलिखित उपबंध किया गया था :––

> **"35–क. पदों इत्यादि का सृजन.––**विश्वविद्यालय द्वारा सृजित किसी पद, पोजीशन और समनुदेशन का तब तक कोई प्रभाव नहीं होगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न हो" ।

धारा 35–क इसलिए अन्तःस्थापित की गई थी क्योंकि राज्य सरकार विश्वविद्यालय को, कृत्यों के निर्बाध निर्वहन के लिए सहायता अनुदान उपलब्ध करवा रही है, इसलिए उपरोक्त अधिनियम में यह उपबंध किया जाना आवश्यक समझा गया था कि विश्वविद्यालय द्वारा सृजित पद / पोजिशन राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् ही, प्रभावी होंगे । जब से अधिनियम में धारा 35–क अन्तःस्थापित की गई तभी से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों की उक्त धारा का लोप किए जाने की माँग रही है, क्योंकि इससे विश्वविद्यालय के कृत्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है । हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का प्रतिविरोध यह है कि विश्वविद्यालय एक स्वायत निकाय है और इसे पदों के सृजन तथा उन्हें भरने के लिए स्वतन्त्र रखा जाना चाहिए । इसलिए, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों की मांग को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के मामलों को निपटाने के लिए एक समिति गठित की थी । उक्त समिति ने सरकार को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 35–क का लोप करने हेतु विचार करने की सिफारिश की है । इसलिए पूर्वाक्त अधिनियम में संशोधन किए जाने का विनिश्चय किया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

ईश्वर दास धीमान,
प्रभारी मन्त्री ।

धर्मशाला :
तारीख :....., 2010

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

————————

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

————————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL No. 39 of 2010

THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL, 2010

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh University Act, 1970 (Act No. 17 of 1970).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh University (Amendment) Act, 2010.

Substitution of section 28.

2. For section 28 of the Himachal Pradesh University Act, 1970 (hereinafter referred to as the "principal Act"), the following section shall be substituted, namely:—

"28. Finance Committee.— (1) There shall be a Finance Committee and its constitution, the term of office of its members other than ex-officio members and its powers and functions shall be as laid down in the Statutes.

(2) If there is no consensus amongst the members on any agenda in the meeting or in case the Executive Council does not agree with the recommendations of the Finance Committee on any issue, the matter shall be referred by the Executive Council, alongwith the details of the case and the reasons for disagreeing with the recommendations of the Finance Committee to the Chancellor for decision, and the decision of the Chancellor thereupon shall be final".

Omission of section 35-A.

3. Section 35-A of the principal Act shall be omitted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The State Government inserted section 35-A in the Himachal Pradesh University Act, 1970 in the year 2003. In section-35-A, the following provision was made:—

> **"35-A. Creation of posts etc.—** No post, position and assignment created by the University shall have any effect unless approved by the State Government".

Section-35-A was inserted since the State Government is providing Grant-in-Aid for the smooth functioning of the University, therefore, it was felt necessary to make a provision in the Act ibid that any post/position created by the University shall take effect only after the same has been approved by the State Government. Ever since the insertion of section 35-A in the Act, there has been a demand from the employees and students of the Himachal Pradesh University for the deletion of said section, as it is causing hurdle in the functioning of the University. The contention of the employees of Himachal Pradesh University is that the University is an autonomous body and it should be given free hand in creation and filling up of posts. Thus, in view of the demand of the employees and students of the Himachal Pradesh University, the Government constituted a committee to sort out the issues of the Himachal Pradesh University. The said committee recommended to the Government to consider deletion of section 35-A of the Act ibid. Therefore, it has been decided to carry out amendments in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

ISHWAR DASS DHIMAN,
Minister-in-Charge.

DHARAMSHALA:
The.....2010.

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–4, 7 दिसम्बर, 2010

संख्याः वि0स0 / 1–63 / 2010.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक–25) जो आज दिनांक 7 दिसम्बर, 2010 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा ।

2010 का विधेयक संख्यांक 25

हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2010

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 9) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः––

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2010 है ।

(2) यह 13 अक्तूबर, 2010 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

धारा 4 का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 4 में,––

2010 का 9.

(क) उपधारा (1) में द्वितीय परन्तुक का लोप किया जाएगा; और

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:––

''(2) कर, मोटरयान के क्रय मूल्य पर, अधिनियम की अनुसूची–2 में यथाविनिर्दिष्ट दर पर उद्गृहीत किया जाएगाः

परन्तु जहां मोटरयान का क्रय मूल्य, मूल बीजक की अनुपलब्धता के कारण या उसे प्रस्तुत न किए जाने के कारण अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता

है या जब प्रस्तुत किया गया बीजक मिथ्या साबित हो जाता है या यदि मोटरयान को क्रय से अन्यथा अवाप्त या अभिप्राप्त किया गया है, तब उसका क्रय मूल्य, वह मूल्य या कीमत होगी जिस पर मोटरयान को उसकी किस्म या गुणवत्ता के आधार पर विक्रीत किया गया है या जिस पर वह खुले बाजार में विक्रय के योग्य है।"।

धारा 5 का लोप।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 का लोप किया जाएगा ।

2010 के अध्यादेश संख्यांक 8 का निरसन और व्यावृत्तियां ।

4. (1) हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2010 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य के बाहर से निजी / वाणिज्यिक उपयोग के लिए व्यक्तियों द्वारा बड़ी संख्या में मोटर यान लाए जा रहे हैं, जिससे राज्य को, ऐसे यानों को राज्य के भीतर क्रय न करने पर, इससे प्राप्त होने वाले समुचित राजस्व से वंचित होना पड़ रहा है । विशेषतया, कम्पनी की कोटा नीति के परिणामस्वरूप, ऐसे यानों की अनुपलब्धता के कारण बड़ी संख्या में माल यान राज्य के बाहर से लाए जा रहे हैं । राज्य में मोटरयानों, विशेषतया माल यानों की मांग उपलब्धता से सदैव ही अधिक रही है और विभिन्न कम्पनियों की वर्तमान कोटा नीति, लोगों को ऐसे यानों को हिमाचल प्रदेश के बाहर से क्रय करने के लिए बाध्य कर रही है, जिससे राज्य को राजस्व की बहुत हानि हो रही है । मोटरयानों पर प्रवेश कर अधिरोपित करने से वर्तमानतः हिमाचल प्रदेश के बाहर से किया जा रहा यानों का क्रय राज्य के भीतर से ही होना प्रत्याशित है, जिससे राज्य में मूल्य परिवर्धित कर के संग्रहण में वृद्धि होगी और क्रेता को राज्य के भीतर नजदीकी आउटलैट से क्रय करना भी सुकर होगा । इसके अतिरिक्त इस राजस्व ह्रास को रोकने के आशय से ''मोटरयानों'' को हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 की अनुसूची–2 में सम्मिलित किया गया है । राजस्थान जैसे राज्य ने 1988 में ही यानों पर प्रवेश कर अधिरोपित कर दिया था, जो सुचारू रूप से चल रहा है ।

2. इस प्रकार संगृहीत राजस्व को, राज्य में पुरानी और विद्यमान सड़कों, पुलों और अन्य अवसंरचनाओं की मरम्मत और अनुरक्षण सहित, नई सड़कों को बनाने, लोक प्रसुविधाओं तथा अन्य अवसंरचनाओं के लिए व्यय किया जाएगा । क्योंकि राज्य स्थितिकीय प्रतिकूल परिस्थितियों से घिरा हुआ है और राज्य के दूर–दराज के क्षेत्रों में पहुँचने के लिए तथा लोगों, सामग्री और फसलों के गमना–गमन को सुकर बनाने हेतु प्रवेश शुल्क अधिरोपित कर के, अतिरिक्त राजस्व जुटाकर बेहतर सड़क अवसंरचना तथा लोक प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाना अनिवार्य है ।

3. क्योंकि विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 में संशोधन किया जाना अनिवार्य हो गया था । अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2010 को 12 अक्तूबर, 2010 को प्रख्यापित किया गया था, जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 13 अक्तूबर, 2010 को प्रकाशित किया गया था । अब उक्त अध्यादेश को नियमित अधिनियमिति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है ।

4. यह विधेयक उक्त अध्यादेश को बिना उपान्तरण के प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मन्त्री ।

धर्मशालाः
तारीखः 2010

वित्तीय ज्ञापन

हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 की अनुसूची–2 के अन्तर्गत मोटरयानों को सम्मिलित किया जाना राजस्व ह्रास रोकने में सहायक होगा, क्योंकि निजी / वाणिज्यिक उपयोग हेतु यानों को विशेषतया माल यानों को बड़ी संख्या में राज्य के बाहर से क्रय किया जा रहा है, जिससे राज्य को राजस्व की बहुत हानि हो रही है । विधेयक के खण्ड 2 के अधिनियमित होने पर राजकोष को प्रतिवर्ष लगभग तीन करोड़ रूपए की प्राप्ति होगी और राज्य के भीतर व्यापार के आ जाने से मूल्य परिवर्धित कर संग्रहण में काफी वृद्धि होगी । क्योंकि विधेयक के उपबंध, अधिनियमित किए जाने के पश्चात् विद्यमान सरकारी तन्त्र द्वारा प्रवर्तित किए जाने हैं और इसलिए राजकोष से कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

————————

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

———शून्य———

————————

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

नस्ति संख्याःई.एक्स.एन.–एफ(10)–2 / 2010

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2010 की विषय–वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 25 of 2010.

THE HIMACHAL PRADESH TAX ON ENTRY OF GOODS INTO LOCAL AREA (AMENDMENT) BILL, 2010

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 2010 (Act No. 9 of 2010).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area (Amendment) Act, 2010.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 13th day of October, 2010.

Amendment of section 4.

2. In section 4 of the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 2010 (hereinafter referred to as the "principal Act")— 9 of 2010.

(a) in sub-section (1), the second proviso shall be omitted; and

(b) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(2) The tax shall be levied on purchase value of a motor vehicle at the rate as specified in Schedule-II of the Act:

Provided that where the purchase value of a motor vehicle is not ascertainable on account of non-availability or non-production of the original invoice or when the invoice produced is proved to be false or if the motor vehicle is acquired or obtained otherwise then by way of purchase, then the

purchase value shall be the value or price at which motor vehicle of the kind or quality is sold or is capable of being sold in open market.".

Omission of section 5

3. 3. Section 5 of the principal Act shall be omitted.

Repeal of Ordinance No. 8 of 2010 and savings.

4. (1) The Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area (Amendment) Ordinance, 2010 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Large number of Motor Vehicles are being brought from outside the State by individual for personal/ commercial use, thus depriving the State of its legitimate revenue on the purchase of such vehicles within the State. Especially, large number of goods vehicles are being brought from outside the State due to non-availability of such vehicles because of company's quota policy. The demand in the State has always exceeded the availability of motor vehicles, especially Goods vehicles and the existing quota policy of various companies are forcing people to purchase such vehicles outside of Himachal Pradesh thereby leading to huge revenue loss to the State. With the imposition of Entry Tax on motor vehicles, the purchases currently being made from outside the State are expected to shift inside the State which will increase VAT collection in the State and will facilitate the purchaser to purchase motor vehicles from the nearest outlet within the State. Further, in order to plug this revenue leakage the "motor vehicles" have been included in Schedule-II of the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 2010. The State like Rajasthan has imposed Entry Tax on vehicles way back in 1988, which is working smoothly.

2. The revenue so collected will get re-deployed for building new roads, public facilities and other infrastructure including repair and maintenance of old and existing roads, bridges and other infrastructure in the State. Since, State suffers from locational disadvantages and to reach out the far-flung areas of the State and to facilitate smooth movement of men, material and crops, it is essential to provide better road infrastructure and public facilities by mobilizing additional revenue through imposition of Entry Tax.

3. Since the Legislative Assembly was not in session and amendment in the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 2010 had to be made urgently. Therefore, the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area (Amendment) Ordinance, 2010 (H.P. Ordinance No. 8 of 2010) was promulgated under clause (1) of article 213 of the Constitution of India by the Governor of Himachal Pradesh on 12th October 2010, which was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 13th October 2010. Now, the said Ordinance is required to be replaced by a regular enactment.

4. This Bill seeks to replace the said Ordinance without modification.

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

Dharamshala:
Dated_____ 2010.

FINANCIAL MEMORANDUM

The inclusion of motor vehicle under Schedule-II of the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 2010 will help to plug revenue leakage, as large number of vehicles especially Goods vehicles are being purchased from outside the State for personal/commercial use thereby leading to huge revenue loss to the State. Clause 2 of the Bill, if enacted, will yield approximately Rs. 3.00 crore per annum to the State exchequer and with the shifting of trade inside the State, the VAT collection will get sizable boost. As the provisions of the Bill after being enacted are to be enforced through the existing Government machinery, and there will be no additional expenditure from the State exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION

File No. EXN-F(10)-2/2010.

The Governor of Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area (Amendment) Bill, 2010, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill by the Legislative Assembly.

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–4, 7 दिसम्बर, 2010

संख्याः वि0स0 / 1–63 / 2010.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक–27) जो आज दिनांक 7 दिसम्बर, 2010 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा ।

2010 का विधेयक संख्यांक 27

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2010

(विधानसभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

(2) यह 07 अक्तूबर, 2010 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

धारा 4–क का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान 1955 का 16 अधिनियम, 1999 की धारा 4–क में "विक्रय करने या प्रेषण कारित करने या कारित करने के लिए प्राधिकृत करने" शब्दों के स्थान पर "विक्रय करने या क्रय करने या प्रेषण या प्राप्ति कारित करने या करवाने को प्राधिकृत करने" शब्द रखे जाएंगे ।

2010 के अध्यादेश संख्यांक 6 का निरसन और व्यावृत्तियां।

3. (1) हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2010 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विभिन्न औद्योगिक और अन्य ईकाइयों द्वारा किए गए थोक क्रय और बड़ी औद्योगिक ईकाइयों जैसे कि सीमेंट संयन्त्रों द्वारा हिमाचल प्रदेश से अन्य राज्यों को माल के प्रेषण से, बैरियरों पर अधिक भीड़–भाड़ हो रही है जिसने यानों के आवागमन की गति को ज़बरदस्त रुप से कम कर दिया है। यद्यपि हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 की धारा 4–क में सड़क द्वारा वहन के लिए माल के प्रेषण पर कर के संग्रहण को प्राधिकृत करने का उपबन्ध विद्यमान है, तथापि ऐसी औद्योगिक ईकाइयों द्वारा थोक में क्रय किए जाने से बैरियरों पर अभी भी भीड़–भाड़ हो रही है और यातायात के मुक्त आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है । इसलिए बैरियरों पर अधिक भीड़–भाड़ को कम करने और यातायात के आवागमन को सुचारु करने के आशय से तथा विसंगति को भी दूर करने के लिए राजस्व और सार्वजनिक सुविधा के हित में पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 4–क को संशोधित करना समीचीन समझा गया है । थोक में क्रय की प्राप्तियों पर, कर संग्रहण को प्राधिकृत करने से बैरियरों पर भीड़–भाड़ कम हो जाएगी, क्योंकि प्राधिकृत व्यक्ति की ओर से और उसके लिए राज्य के भीतर माल को लाने वाले यानों को, कतार में प्रतीक्षा करनी अपेक्षित नहीं होगी।

क्योंकि विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 में संशोधन किया जाना आवश्यक था । अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश संख्यांक 6) प्रथम अक्तूबर, 2010 को प्रख्यापित किया गया था जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में 07 अक्तूबर, 2010 को प्रकाशित किया गया था। अब उपरोक्त अध्यादेश को नियमित विधान द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को बिना उपान्तरण के प्रतिस्थापित करने के लिए है।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मन्त्री।

धर्मशाला :
तारीख.....2010

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित होने पर विद्यमान सरकारी तन्त्र द्वारा प्रवर्तित किए जाने हैं और इससे राजकोष से कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा ।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड़ 2 राज्य सरकार को सड़क द्वारा वहन के लिए, थोक में क्रय किए गए माल की प्राप्तियों पर कर का संग्रहण करने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करने के लिए सशक्त करता है । शक्तियों का यह प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरुप का है ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 27 of 2010

THE HIMACHAL PRADESH TAXATION (ON CERTAIN GOODS CARRIED BY ROAD) AMENDMENT BILL, 2010

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Act, 1999(Act No. 16 of 1999).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty- first Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commence-ment.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Amendment Act, 2010.

(2) It shall be deemed to have come into force on 7th day of October, 2010.

Amendment of section 4-A.

2. In section 4-A of the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Act, 1999, for the words "selling or causing or authorising to cause despatch", the words "selling or purchasing or causing or authorising to cause despatch or receipt" shall be substituted. 16 of 1999

Repeal of Ordinance No. 6 of 2010 and savings.

3. (1) The Himachal Pradesh Taxation (On Certain Goods Carried by Road) Amendment Ordinance,2010 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The bulk purchases made by various industrial units and others and the despatch of goods from Himachal Pradesh to other States by the big Industrial Units, such as cement Industries have been adding to congestion at the Barriers which drastically curtail the speed of movement of vehicles. Though there exists a provision under section 4-A of the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955 to authorise for collection of Additional Goods Tax on despatch of goods for carriage by Road, however, the bulk purchases being made by such Industrial Units are still creating congestion at Barriers and free flow of traffic is being hampered. Therefore, in order to decongest the Barriers and to make movement of traffic smooth and also to remove the anomaly, it is considered expedient in the interest of revenue and public convenience to amend section 4-A of the Act ibid. The authorisation to collect additional Goods Tax on receipt of bulk purchases will help in decongesting the Barriers as Vehicles bringing Goods inside the State for and on behalf of authorised person will not be require to wait at Barriers.

2. Since the Legislative Assembly was not in session and amendment in the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act,1955 had to be made urgently. Therefore, the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation (Amendment) Ordinance, 2010 (H.P.Ordinance No. 6 of 2010) was promulgated under clause (1) of article 213 of the Constitution of India by the Governor of Himachal Pradesh on 1st October, 2010, which was published in Rajpatra, Himachal Pradesh on 7th October, 2010. Now, the said Ordinance is required to be replaced by a regular legislation.

3. This Bill seeks to replace the said Ordinance without modification.

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

Dharamshala:
The .....2010.

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill when enacted are to be enforced through the existing Government machinery and there will be no additional expenditure from the State exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 2 of the Bill seeks to empower the State Government to authorise a person to collect tax on receipt of goods purchased in bulk for carriage by road. This delegation is essential and normal in character.